

**फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा**

(इन्सोल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम 2016 के विनियमन 6 के अधीनस्थ।)

लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ हेतु संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	27 दिसंबर, 1968
3.	प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ कार्पोरेट ऋणी निगमित/पंजीकृत है	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीनस्थ कंपनी रजिस्ट्रार, हरियाणा
4.	कार्पोरेट ऋणी की कार्पोरेट पहचान सं./सीमित देनदारी पहचान सं.	CIN: L35999HR1968PLC004977
5.	कार्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजी. कार्यालय: 46/1 माईल स्टोन, हिसार रोड, रोहतक, हरियाणा-124001 कार्य: 46/1 माईल स्टोन, उत्तरी बाई पास, हिसार रोड, रोहतक-124001 हरियाणा (भारत), फोन: +91-1262-248856 -249927, फैक्स: +91-1262-248863 - 249929 - 248695, ई-मेल: lpsrkt@lpsmkt.com प्लॉट-3: प्लॉट नं. 153, सैक्टर-3, आईएमटी मानेसर, गुडगांव-122050, हरियाणा (भारत), फोन: +91-0124-2291781 प्लॉट-4: एनएच 10, दिल्ली रोड, खरावड़ बाई पास, रोहतक-124001, हरियाणा, भारत, फोन: +91-01262-305231/305232, प्लॉट नं. 257, सैक्टर-6, आईएमटी मानेसर, गुडगांव-122050, हरियाणा (भारत), फोन: +91-0124-4009860
6.	कार्पोरेट ऋणी के संबंध में दिवालियापन आरंभ तिथि	18 जुलाई 2018 (24.07.2018 को प्राप्त की गई आदेश की कापी)
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बंद होने की तिथि	13 जनवरी 2019 (इन्सोल्वेंसी समाधान प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	दिवालियापन प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण सं. जो अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हैं	दीपक ठुकराल IBBI/IPA-002/IP-N00182/2017-18/10453
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल आईडी जैसाकि बोर्ड के पास पंजीकृत है	म.नं. 237/1, 44-ए, चंडीगढ़-160047 ई-मेल: deepakthukral1@gmail.com (पत्र व्यवहार हेतु नीचे देखें)
10.	पता और ई-मेल आईडी जो अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्र व्यवहार हेतु उपयोग किया जाना है।	एमसीओ 131, द्वितीय तल, सैक्टर-5, एमडीसी पंचकुला, हरियाणा-134114 ई-मेल: ip.lakshmiiprecision@ducturus.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	6 अगस्त 2018
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित सैक्शन-21 के सब-सैक्शन (6ए) की धारा (बी) के अधीनस्थ क्रेडिटर्स की श्रेणियां, यदि कोई है।	श्रेणी (श्रेणियों) का नाम -एनए
13.	इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल्स का नाम जिसे श्रेणी (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम) में क्रेडिटर्स के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निश्चित किया गया है।	1. एनए 2. एनए 3. एनए
14.	(ए) संबंधित फॉर्म और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(ए) वेबलिनक: http://ibbi.gov.in/downloadform.html कृपया लागू फॉर्म हेतु नोट 1 देखें (बी) भौतिक पता: जैसाकि उपरोक्त (10) में है।

एतद् द्वारा सूचना दी गई है कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल ने 18.07.2018 को लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड के कार्पोरेट इन्सोल्वेंसी समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश 24.07.2018 को प्राप्त हुआ है)

लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रूज लिमिटेड के क्रेडिटर्स को एतद् द्वारा इन्ट्री नं. 10 के सामने वर्णित पते पर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को 06.08.2018 को या पहले सबूत के साथ उनके दावों को जमा करने हेतु आह्वान किया जाता है।

वित्तीय क्रेडिटर्स उनके दावे सबूत के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा जमा करवाएंगे। सभी अन्य क्रेडिटर्स सबूत के साथ दावों को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा जमा करा सकते हैं। वित्तीय क्रेडिट जो श्रेणी से संबंधित है, जैसाकि एन्ट्री नं. 12 के सामने सूचीबद्ध है, फॉर्म सीए में श्रेणी (एनए) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु एन्ट्री नं. 13 के सामने सूचीबद्ध 3 इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल्स में से इसकी अधिकृत प्रतिनिधि की पसंद को दर्शाएंगे। दावों के सबूत को जमा कराना इन्सोल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम 2016 के चैप्टर-IV के अनुसार होना चाहिए। दावों का सबूत उनके दावों के सहयोग में दस्तावेजी सबूत के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम द्वारा जमा करवाया जाए।

फॉर्म बी-अप्रिशनल क्रेडिटर्स द्वारा दावों हेतु (कर्मियों और कर्मचारियों के अलावा)

फॉर्म सी- वित्तीय क्रेडिटर्स द्वारा दावों हेतु

फॉर्म सीए-श्रेणी में वित्तीय क्रेडिटर्स द्वारा दावों हेतु

फॉर्म डी- कर्मी और कर्मचारी द्वारा दावों हेतु

फॉर्म ई- कर्मियों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों हेतु

फॉर्म एफ- वित्तीय क्रेडिटर्स और अप्रिशनल क्रेडिटर्स के अलावा क्रेडिटर्स द्वारा दावों हेतु

दावों के गलत या भ्रामक सबूतों को जमा करवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिनांक : 26.07.2018

स्थान : पंचकुला

दीपक ठुकराल

(अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम और हस्ताक्षर)